न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 26/2024
जी.सी.एम.एस नं. : 2024/38

राजस्थान राज्य जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. (विक्रेता/मेनेजर) श्री गजेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री रणजीत निवासी सूरजपूर, पोस्ट लपनिया तह. साबला जिला डूंगरपूर 314038 मो.नं. 9316238006 (मालिक) श्री गिरिश जोशी पुत्र श्री गणेश लाल जोशी मैसर्स– कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडाा बांसवाडा (राज) फोन नं. 9114104477
2. श्रीमती हर्षिता दोसी पत्नी श्री मनोज दोसी (विक्रेता/मालिक) निवासी डाक घर के सामने बांसवाडा मैसर्स– **Dosi Marketing Company, Banswara Mob. No 9414102529**
3. **Deepak Bhagwatiprasad Sharma**(नोमिनी) मैसर्स **HAVMOR Ice Cream Private Limited Regd. Office- 2nd Floor Commerce House-4 Beside Shell Petrol Pumb, 100 Ft. Road Prahlad Nagar, Ahmedabad 380015 Mob. No 7940209000**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28–04–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री **उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक **22–02–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **24–02–2023** को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स कृष्णा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पैलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, कुपडा, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री गजेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री रणजीत** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स कृष्णा पैलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, कुपडा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor) फ्रिज में 5 लीटर का बल्क (पैकेट) किचन में रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का** शक हुआ। शक होने पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor) स्टील के भगोने में 1 किलो 200 ग्राम** के वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 173/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor) के 4 नमूना भाग तैयार किये। प्रत्येक नमूना भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1311** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/219 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 203 दिनांक 03–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1311** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मैसर्स (मालिक) **श्री गिरिश जोशी पुत्र श्री गणेश लाल जोशी** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं यदि आपने खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है जिस पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ **Dosi Marketing Company, Banswara** से खरीद होने का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स **Dosi Marketing Company, Banswara** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं अग्रीम माल बिल खरीद सम्बन्धित सूचना चाही, जिस पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Ahmedabad** से खरीद होने सूचना दी।

विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 27–02–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 26.03.2024 को अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। दिनांक 06.05.2024 को अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस बाद तामील पेश हुआ, अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित रहे। दिनांक 11.06.2024 को अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह झुला अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ।

दिनांक 03.09.2024 को अप्रार्थी सं. 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि FSO बांसवाड़ा ने विवादित उत्पाद का 1200 मिलीलीटर लिया। शिकायत के अनुसार इन नमूनों को प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में खोला गया और चार बराबर भागों में विभाजित किया गया। हालांकि, इस तथ्य को उजागर करना प्रासंगिक है कि FSO बांसवाड़ा द्वारा दर्ज की गई शिकायत में विवादित उत्पाद में फॉर्मेलिन (Formalin) मिलाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, फॉर्म V A में, यह कहा गया है कि FSO ने फॉर्मेलिन की 36 बूंदें मिलाईं। इसके विपरीत, FSO द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा यह दर्शाता है कि उसने फॉर्मेलिन की केवल 30 बूंदें मिलाईं। नमूनों में कथित रूप से मिलाई गई फॉर्मेलिन की मात्रा में यह विसंगति संपूर्ण नमूनाकरण प्रक्रिया की सटीकता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती है। इस तरह की विसंगति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नमूने की विश्वसनीयता को कम करती है और नमूनों से प्राप्त परीक्षण परिणामों की वैधता पर सवालिया निशान लगाती है। फॉर्म VA

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 24.02.2023 और मौका पर्चा की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। इस तथ्य को भी उजागर करना महत्वपूर्ण है कि FSO बांसवाड़ा शिकायत के साथ– साथ फॉर्म VA और VI में विवादित उत्पाद के बैच नंबर को निर्दिष्ट करने में विफल रहे। यह चूक विवादित उत्पाद के वास्तविक निर्माता के संबंध में संदेह पैदा करती है। मेसर्स हैवमोर आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड दो अलग–अलग विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से काम करती है: एक का स्वामित्व मेसर्स हैवमोर आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड के पास है और दूसरे का मान्स फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पास, जो एक अलग इकाई है। इन इकाइयों के प्रत्येक उत्पाद को विनिर्माण इकाई को इंगित करने के लिए स्पष्ट रूप से लेबल किया गया है। निर्माता की सटीक पहचान करने के लिए, हमने आइसक्रीम लेबल पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि अक्षर "N" से शुरू होने वाले बैच नंबर हैवमोर द्वारा निर्मित उत्पादों को दर्शाते हैं,जबकि "M" से शुरू होने वाले बैच नंबर मान्स फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए गए उत्पादों को दर्शाते हैं। चूंकि बैच नंबर का उल्लेख न तो शिकायत पर, न फॉर्म VA पर और न ही शिकायत के साथ संलग्न मौका पर्चा पर किया गया है, इसलिए यह पता लगाना असंभव है कि उत्पाद का निर्माण किस विनिर्माण इकाई ने किया है, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित उत्पाद वास्तव में हैवमोर द्वारा निर्मित किया गया था या यह संभावित रूप से एक जाली, नकली या यहाँ तक कि काउंटरफीट उत्पाद भी हो सकता है।

खाद्य विश्लेषक को 24.02.2023 को विवादित उत्पाद प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने 27. 02.2023 तक अपना विश्लेषण शुरू नहीं किया। प्राप्ति के बाद तीन दिन की यह देरी नमूने की अखंडता और विश्वसनीयता के संबंध में संदेह को बढ़ाती है। इसके अलावा, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से विवादित उत्पाद की भौतिक उपस्थिति को 'क्रीमी व्हाइट रंग का कोलाइडलइमल्शन तरल' (Creamish White coloured colloidal emulsion liquid) के रूप में दर्शाती है, जो उत्पाद के वास्तविक नारंगी (orange) रंग के बिल्कुल विपरीत है।

खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषित आइसक्रीम [illegible] वास्तविक हैवमोर केसर पिस्ता आइसक्रीम के रंग में एक उल्लेखनीय [illegible] इस बात परगंभीर संदेह पैदा करती है कि क्या खाद्य विश्लेषक को मूल उत्पाद प्राप्त हुआ था।उपरोक्त कथन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह कहा गया है कि नमूने कीभौतिक उपस्थिति के विवरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

एक स्पष्ट अंतर विवादित उत्पाद के संभावितक्षरण (degradation) या परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है।खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट इसे क्रीमी व्हाइट रंग के कोलाइडल इमल्शन तरल के रूप में वर्णित करती है, जबकि हैवमोर केसर पिस्ता आइसक्रीम का वास्तविक रंगनारंगी (Orange) है। यह विसंगति दृढ़ता से बताती है कि उत्पाद की संरचना या गुणवत्ता से समझौता किया गया होगा। यहाँ यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पटियाला हाउस कोर्ट्स ने "श्री अशोक कुमार बनाम राज्य (CA No- 102/2017)" नामक एक समान मामले में कहा था: "इसलिए, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि 24.06.2010 को सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण और 03.03.2011 को CFL में इसके परीक्षण के बीच की अवधि के दौरान नमूने पनीर का रंग पहले ही "सफेद" से "ऑफ वाइट" (Off white) में बदल गया था। क्या इस पहलू को नजर अंदाज किया जा सकता है क्या नमूने के रंग में यह परिवर्तन क्षय होने का या इस तथ्य का संकेत नहीं है कि नमूना प्रतिनिधि (representative) नहीं था?

यह विशेष रूप से अस्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीगण को FSS अधिनियम की धारा 46 (4) के तहत कोई नोटिस प्राप्त हुआ। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि FSO बांसवाड़ा ने शिकायत के साथ संलग्न किसी भी ट्रैकिंग रसीद के विवरण का प्रमाण संलग्न नहीं किया है। FSO द्वारा शिकायत FSS अधिनियम, 2006 की धारा 46 (4) के प्रावधान की अनदेखी करते हुए प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है: "खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील नामित अधिकारी के समक्ष होगी जो, यदि वह ऐसा निर्णय लेता है, तो मामले को राय के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को भेजेगा। "इस प्रकार, शिकायत ने प्रतिवादीगण को खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से विवादित उत्पाद का विश्लेषण कराने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया है जो FSS अधिनियम की भावना के खिलाफ है, इसलिए शिकायत खारिज होने योग्य है। प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक को यहाँ ऊपर उल्लिखित प्रावधान के अनुसार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध किसी भी खाद्य उत्पाद का विश्लेषण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Municipal Corporation of Delhi vs Ghisa Ram (AIR 1967 SC 970) के मामले में नि[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

" एक ऐसे मामले में जहां अ[illegible] जानबूझकर किए गए आचरणके कारण इस अधिकार से इनकार किया जाता है, हमें लगता है कि विक्रेता,अपने मुकदमे में, इस कदर गंभीर रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होताहै कि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पर उसकी सजा कोबरकरार रखना उचित नहीं होगा, भले ही वह रिपोर्ट उसमें निहित तथ्यों केमामले में साक्ष्य बनी रहे।"

यद्यपि उपरोक्त निर्णय पुराने कानून 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम' केतहत पारित किया गया है, तथापि, यह अभी भी लागू है क्योंकि नया कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 भी नमूने के पुनः विश्लेषण के समान प्रावधान का उल्लेख करता है और इसलिए पूरी शक्ति के साथ वर्तमान मामले में लागू होता है। कि इसके अलावा Leela Devi vs- State of Rajasthan & Anr- 2012(3)Crimes 498 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पैरा 9 में निम्नानुसार अवलोकन किया है :

" .... किसी भी स्थिति में, आरोपी को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दूसरे नमूने का विश्लेषण करवाकर सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती देने का वैधानिक अधिकार है और वह भी समाप्ति तिथि (expiry date) या 'बेस्ट बिफोर' तिथि से पहले।

रिपोर्ट के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से इस प्रकार वंचित करने से प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और इसके अलावा प्रतिवादीगण को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है। FSO द्वारा शिकायत FSS अधिनियम, 2006 की धारा 46 (4) के प्रावधान की अनदेखी करते हुए प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, परिवादी ने प्रतिवादीगण को खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफ़रल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से विवादित उत्पाद का विश्लेषण कराने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया है जो FSS अधिनियम की भावना के खिलाफ है, इसलिए शिकायत खारिज होने योग्य है। प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक को यहाँ ऊपर उल्लिखित प्रावधान के अनुसार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध खाद्य उत्पाद का विश्लेषण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके कारण प्रतिवादीगण के साथ घोर अन्याय हुआ है,इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इस तथ्य को भी उजागर करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 विवादित उत्पाद के न तो निर्माता हैं और न ही पैकर, और इसे मेसर्स हैवमोर आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और पैक किया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित उत्पाद के खुदरा विक्रेता होने के नाते और प्रतिवादी संख्या 2 विवादित उत्पाद के वितरक होने के नाते विवादित उत्पाद को मेसर्स हैवमोर आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खरीदा गया विवादित उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित / संरक्षित है यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

निर्माताओं की ओर से उल्लंघन/अपराध होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 विवादित उत्पाद को उसी पैकेज में और उसी स्थिति में बेचते हैं जैसा कि वह निर्माता से प्राप्त करते हैं। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 FSS अधिनियम की धारा 80(B) (2)(d) का लाभ पाने के हकदार हैं जो इस प्रकार है:

धारा 80(B) (2)(d) ... भोजन की बिक्री से जुड़े किसी अपराध के मामले में, कि–

(1) व्यक्ति ने भोजन को उसी स्थिति में बेचा जिस स्थिति में और जब व्यक्ति ने उसे खरीदा था– या

(2) व्यक्ति ने भोजन को उस स्थिति से भिन्न स्थिति में बेचा जिसमें व्यक्ति ने उसे खरीदा था, लेकिन उस भिन्नता के परिणामस्वरूप इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ ......

इसलिए, ऊपर उद्धृत प्रावधान के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को वर्तमान शिकायत में कथित उल्लंघनों के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए जब तक कि वह निर्माता के निर्देशों के अनुसार विवादित उत्पाद का भंडारण करता है और उसके साथ व्यवहार करता है।

अतः शिकायत झूठी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है तथा न्याय एवं साम्य के हित में खारिज किए जाने योग्य है। अतः यह शिकायत आधारहीन, अवैध तथा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। शिकायत खारिज होने योग्य है क्योंकि परिवादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध कार्रवाई का कोई कारण (cause of action) कभी उत्पन्नही नहीं हुआ और इसलिए प्रतिवादीगण को एफएसएस अधिनियम की धारा 51के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और शिकायत को पूरी तरह से खारिज किया जाए।

दिनांक 14.10.2024 को अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। बार–बार सूचना पत्र जारी करने के बाद भी दौराने सुनवाई अप्रार्थी सं. 2 के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत् आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 16.03.2026 को अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में प्रस्तुत जवाब को बहस का आधार मानते हुए निस्तारण करने निवेदन किया।

दिनांक 28.04.2026 को विभागीय पैरोकार ने उपस्थित होकर बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 219 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 203 दिनांक 03–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1311** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2**(ii)** का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी सं 3 का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 खुदरा विक्रता एवं 2 वितरक हैं, न कि उत्पाद के निर्माता या पैकर। विवादित उत्पाद निर्माता से सीलबंद अवस्था में खरीदा गया तथा उसी अवस्था में विक्रय किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को FSS Act की धारा 80(B)(2)(d) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 एफएसएस अधिनियम की धारा 80(B)(2)(d) के तहत सुरक्षित हैं और निर्माता द्वारा किसी भी कथित उल्लंघन के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि उत्पाद को आवश्यक शर्तों के अनुसार संग्रहीत किया गया हो। इस सन्दर्भ यह कि अप्रार्थी सं. 2 को प्रकरण में सुनवाई की सूचना होने के उपरांत भी उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। अप्रार्थी सं. 1 दौराने सुनवाई उपस्थित रहे है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नही करते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रकरण निस्तारण करने निवेदन किया है। चुंकि अप्रार्थी सं. 1 दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा में उपस्थित रहे है तथा धारा 80(B) (2)(d) अनुसार खाद्य पदार्थ की बिक्री के मामले में अप्रार्थी ने खाद्य पदार्थ को उसी स्थिति में बेचा जिस स्थिति में और जब अप्रार्थी ने उसे खरीदा था। अतः अप्रार्थी सं. 1 को दोषमु[illegible] जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अभिहित अधिकारी [illegible] मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 219 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 203 दिनांक 03–03–2023

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1311** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम केसर पिस्ता (Havmor)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण **श्रीमती हर्षिता दोसी पत्नी मनोज दोसी (फर्म मालिक) मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा को रूपये 2,500/–** (अक्षरे दो हजार पाँच सौ रुपया मात्र), **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad को रूपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 28–04–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:35 IST
Reason: SelfAttested